यह निरीक्षण आख्या **कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी, ऊधमसिंह नगर** द्वारा उपलब्ध करायी गई सूचना के आधार पर तैयार की गयी है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गई किसी त्रुटिपूर्ण सूचना अथवा अप्राप्त सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी, ऊधमसिंह नगर के अवधि 06/2014 से 04/2016 तक के लेखा–अभिलेखों की लेखापरीक्षा श्री अरिन्दम चटर्जी, एवं श्री सुनील कुमार सिन्हा, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 22.05.16 से 01.06.16 तक श्री डी.एन. मिश्रा, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में तक संपादित लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

भाग–प्रथम

(अ) परिचयात्मकः इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री खजान सिंह, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री श्रवण कुमार, स.ले.प.अ. के द्वारा दिनांक 18.06.14 से 25.06.14 तक श्री राकेश कुमार, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पन्न की गयी। जिसमें माह 04/2011 से 05/2014 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

वर्तमान में माह 06/2014 से 04/2016 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

1. विगत लेखापरीक्षा से अब तक निम्नलिखित अधिकारियों ने कार्यायाध्यक्ष का पदभार संभाले रखा :

1. श्री अनुराग शंखधर	27.05.2014 से 03.12.2015
2. श्रीमती वर्षा	04.12.2015 से वर्तमान तक

ब. विगत लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अद्यतन स्थिति :

क्र.सं.	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन/वर्ष	प्रस्तर संख्या		
		भाग–2 अ	भाग–2 ब	स्टैन
इकाई को लेखापरीक्षा ज्ञाप सं. 74 एवं 76 द्वारा पूछे जाने पर अवगत कराया कि शीघ्र ही महालेखाकार (लेखापरीक्षा) कार्यालय को विगत लेखापरीक्षा के अनुपालन आख्या तथा नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी के अनुपालन आख्या भेजा जायेगा।				

स. सतत् अनियमिततायें – शून्य

द. अप्रस्तुत अभिलेख (कारण सहित) – विगत लेखापरीक्षा के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन एवं नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी की अनुपालन आख्या।

6. बजट :

(धनराशि ` लाख में)

वर्ष	आयोजनेत्तर		आयोजनागत	
	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय
2013—14	7077.33	6880.46	1823.18	1813.13
2014—15	7980.25	7969.72	1939.25	1924.98
2015—16	6266.52	6259.99	1465.67	1441.16

भाग–दो (ब)

प्रस्तर 1 : भारत सरकार के दिशा –निर्देशों के विपरीत ` 307.21 लाख की छात्रवृत्ति का भुगतान छात्रों को किया जाना।

भारत सरकार की दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना के प्रस्तर–v(iii) के अनुसार मान्यता प्राप्त संस्थानों के मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रमों हेतु फ्री एवं पेड सीट (free and paid seat) के सापेक्ष प्रवेश प्राप्त छात्रों को राज्य/केन्द्र सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित शुल्क ढाचें के अनुरूप भुगतान की गयी नान–रिफन्डेबल (non refundable) शुल्क की प्रतिपूर्ति छात्रों को की जायेगी, परन्तु शुल्क की प्रतिपूर्ति के पूर्व राज्य सरकार द्वारा पेड सीट के विरूद्व नामांकित छात्रों के परिवार की वार्षिक आय का सत्यापन किया जाना अनिवार्य है। दिशा–निर्देशों के अनुसार केवल वही छात्र छात्रवृत्ति के पात्र होंगें जिनके माता–पिता/अभिभावक की वार्षिक आय अनु. जाति के प्रकरण में ` 2.50 लााख तथा अन्य पिछडा वर्ग श्रेणी के अर्न्तगत ` 1.00 लाख से अधिक न हो, राज्य सरकार द्वारा छात्रों के सत्यापन के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा–निर्देश भी जारी किये गये हैं (नवम्बर 2014)।

जिला समाज कल्याण अधिकारी, उधमसिंह नगर के अभिलेखों की नमूना जांच मे पाया कि वर्ष 2013–14 एवं 2014–15 में छात्रवृत्ति का भुगतान शिक्षण संस्थाओ को किये जाने से पूर्व, भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा निधार्रित प्रक्रिया के अनुरूप छात्रों तथा उनके अभिलेखों का सत्यापन नहीं कराया गया। अभिलेखो की जांच में पाया गया कि उक्त अवधि में जिला समाज कल्याण कार्यालय द्वारा भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार विभिन्न संस्थानों के विभिन्न पाठ्यक्रर्मों मे पेड़ सीट के विरूद्व नामाकिंत छात्रों के परिवारो की आय का अनिवार्य सत्यापन नहीं किया गया। इस प्रकार जिला समाज कल्याण द्वारा पेड़ सीट छात्रों के परिवार की आय का सत्यापन कराये बिना ही संस्थानों को ` 307.21 लाख की छात्रवृत्ति की धनराशि का भुगतान किया गया, विवरण निम्न प्रकार है।

क्रम. स.	संस्थान का नाम	छात्रों की संख्या	धनराशि (लाख ` में)	भुगतान की तिथि चैक संख्या
(1)	Dron College of Education & Technology,Rudrepur	127	52.42	25/08/14 45871
(2)	Dron B.ED. College, Rudrepur	25	14.30	26.8.14 45874
(3)	Shri Ram Institute of Menagment & Tech, Kashipur	45	19.26	17.11.14 388406
(4)	Dron College of Education & Technotogy, Rudrepur	71	27.88	17.11.14 388405

(5)	-------DO------	174	70.28	20.11.13 619528
(6)	Six Sigma Institute of Tech,& Science Rudrepur	107	39.91	13.9.13 983996
(7)	Rudrepur Institute of Technogogy	74	29.99	15.11.14 388391
(8)	H.N.B Govt. P.G. College Khatima	896	24.50	07.4.15 162964
(9)	Dr. Sushila Temari Degree College Sitarganj	333	28.64	
		1852	**307.21**	

लेखा परीक्षा में पूछे जाने पर इकाई द्वारा बताया गया कि सत्यापन का कार्य नियमानुसार भविष्य में किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि भारत सरकार के दशमोत्तर छात्रवृत्ति दिशा निर्देशों, के प्रस्तर v (iii) के अनुसार संस्थानों मे पेड सीट नांमाकित छात्रों के परिवार की आय का सत्यापन, छात्रवृत्ति के भुगतान के पूर्व किया जाना अनिवार्य है। जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा छात्रवृत्ति के भुगतान के पूर्व सम्बन्धित छात्रों के परिवार की आय का नियमानुसार सत्यापन नहीं किया गया।

अतः बिना सत्यापन कार्य के ` 307.21 लाख की छात्रवृत्ति के भुगतान का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

भाग–दो (ब)

प्रस्तर 02: सक्षम अधिकारी द्वारा शुल्क ढांचें की स्वीकृति के बिना पी.जी.डी.एम. पाठ्यक्रम के छात्रो को ` 78.53 लाख की छात्रवृत्ति का अनियमित भुगतान।

भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार छात्रों से शिक्षण संस्थानों द्वारा अनिवार्य रूप से लिये जाने वाले नान–रिफेन्डेबल (Non-Refundable) शुल्क की प्रतिपूर्ति छात्रवृत्ति के रूप में की जायेगी बशर्ते राज्य/केन्द्र सरकार द्वारा सम्बन्धित संस्थान के सम्बन्धित पाठ्यक्रम के लिए शुल्क का निर्धारण किया गया हैं। दिशा निर्देशो के प्रस्तर vi के अनुसार जो अभ्यर्थी अन्य राज्यों मे अध्ययनरत है उन्हे उसी प्रकार छात्रवृत्ति स्वीकृति की जायेगी जैसे कि वे अपने ही राज्य में अध्ययनरत हों तथा वे अपने आवेदन अपने राज्य के सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत करेंगे।

जिला समाज कल्याण अधिकारी, उधमसिंह नगर के अभिलेखो की नमूना जांच में पाया गया कि वर्ष 2013–14 एवं 2014–15 मे जिले के राज्य के बाहर विभिन्न संस्थानो में पी.जी.डी.एम. पाठ्यक्रम में अध्ययनत् 80 छात्रों को छात्रवृत्ति का भुगतान किया गया जबकि संस्थानों हेतु उक्त पाठ्यक्रम के लिए राज्य सरकार/केन्द्र सरकार द्वारा शुल्क ढांचा निधार्रित/स्वीकृत नहीं किया गया था।

इस प्रकार राज्य सरकार के सक्षम अधिकारी द्वारा बिना शुल्क ढांचे की स्वीकृति के छात्रों को उक्त पाठ्यक्रम हेतु ` 78.53 लाख की छात्रवृत्ति का भुगतान किया गया। विवरण निम्न प्रकार है–

क्रम.स.	संस्थान का नाम	छात्रवृत्ति	छात्रों की संख्या	कुल धनराशि
(1)	दून कालेज टैक्निकल कैम्पस, सहारनपुर	96,900	20	19,38,000
(2)	शाकुम्भरी कालेज, सहारनपुर	96,900	25	24,22,500
(3)	कृषि इंस्ट्टीट्यूट आफ इन्जी. एण्ड टैक्नो.	99,800	35	34,93,000
		कुल योग	**80**	**78,53,500**

लेखा परीक्षा जांच में आगे यह भी पाया गया कि छात्रों को छात्रवृत्ति का भुगतान सीधे उनके बैक खातों में न कर, संस्थानों के प्रमुख के माध्यम से किया गया।

लेखा परीक्षा में पूछे जाने पर इकाई द्वारा बताया गया कि उत्तर प्रदेश राज्य की शुल्क ढांचा समिति द्वारा पी.जी.डी.एम. पाठ्यक्रम हेतु 2009–10 एवं 2010–11 के लिए शुल्क ` 91,600 निधार्रित किया गया था (अक्टूबर 2010) तथा उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश (जुलाई 2015) के अनुसार प्रवेश एवं फीस नियमन समिति द्वारा जो शुल्क विगत वर्षो में निर्धारित किया गया था वही शुल्क सभी संस्थानों में शैक्षिक सत्र 2014–15 हेतु भी प्रभावी रहेगा।

इकाई का अन्तर मान्य नहीं हैं क्योंकि राज्य सरकार द्वारा उक्त पाठ्यक्रम के लिए शुल्क निर्धारण 2009–10 एवं 2010–11 के लिए किया गया था (शासनादेश अक्टूबर 2010) तथा शासनादेश (जुलाई 2015) केवल स्नातक स्तरीय अभियान्त्रिकी पाठ्यक्रमों हेतु लागू है।

अतः राज्य के सक्षम अधिकारी द्वारा शुल्क ढांचे की स्वीकृति के बिना पी.जी.डी.एम. पाठ्यक्रम के छात्रों को ` 78.53 लाख की छात्रवृत्ति के अनियमित भुगतान का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग–दो (ब)

प्रस्तर 03: अन्य पिछडा वर्ग श्रेणी में अपात्र लाभार्थियों को ` 4.17 करोड की धनराशि के छात्रवृत्ति का भुगतान।

भारत सरकार के दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना (ओ.बी.सी.) के दिशा निर्देशों (जुलाई 2011) के पैरा vii (iv) के अनुसार छात्रवृत्ति की धनराशि चयनित छात्रो को सम्बन्धित राज्य सरकार द्वारा जिससे वे सम्बन्धित हों, उनके द्वारा इस सम्बन्ध में बनाये गये नियमों/प्रावधानों के अनुसार प्रदान की जायेगी। राज्य सरकार द्वारा ओ.बी.सी. छात्रों को छात्रवृत्ति के वितरण के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा–निर्देश अपने शासनादेश के द्वारा जारी (6 अगस्त 2013 एवं 7 मार्च 2014) किये गये है। शासनादेश के अनुसार उन्हीं ओ.बी.सी. छात्रों को छात्रवृत्ति का भुगतान किया जायेगा जो काउन्सिलिंग के माध्यम से सरकारी फ्री सीट पर मान्यता प्राप्त संस्थान के मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम में नामांकित हों तथा जिनका शुल्क ढांचा राज्य सरकार के सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदित हो।

जिला समाज कल्याण अधिकारी, उधमसिंह नगर के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि कार्यालय/इकाई द्वारा राज्य के बाहर के 26 संस्थानो के 876 बी.एड. के छात्रों को ` 4.17 करोड़ की छात्रवृत्ति की धनराशि वर्ष 2014–15 में किया गया जिनका शुल्क ढांचा सम्बन्धित राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित नहीं था। छात्रों के आवेदन पत्रों की नमूना जांच में आगे पाया गया कि वे संस्थानों में पेड सीट के सापेक्ष नामांकित थे।

लेखा परीक्षा में पूछे जाने पर इकाई द्वारा बताया गया कि शुल्क ढांचे के सम्बन्ध में सम्बन्धित संस्थान के प्रधानाचार्य का प्रकरण पत्र तथा वे किस कोटे (फ्री/पेड सीट) में नामांकित है, का विवरण आवदेन पत्र में उल्लिखित किया गया है।

इकाई का उत्तर मान्य नहीं हैं क्योंकि छात्र संस्थानों में पेड सीट के विरूद्ध (Paid seat) नामांकित थे। अतः वे छात्रवृत्ति के नियमों (राज्य सरकार के शासनादेश) के अनुसार छात्रवृत्ति प्राप्त करने हेतु अपात्र (ineligible) थे तथा सम्बन्धित संस्थानों के सम्बन्धित पाठ्यक्रम हेतु शुल्क ढांचा राज्य सरकार के सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमादित नहीं किया गया था।

अतः अपात्र लाभार्थियों को ` 4.17 करोड की धनराशि की छात्रवृत्ति के वितरण का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता हैं।

भाग–दो (ब)

प्रस्तर 04 : शिक्षण संस्था के मांगपत्र के सापेक्ष छात्रवृत्ति ` 2.30 लाख धनराशि का अधिक भुगतान किया जाना।

भारत सरकार की छात्रवृत्ति संबधी, मार्गदर्शिका के अनुसार, शिक्षण संस्था द्वारा प्रस्तुत छात्रवृत्ति की मांगपत्र के अनुसार शिक्षण संस्था/लाभार्थियों को DSWO द्वारा छात्रवृत्ति का भुगतान की जानी अपेक्षित होती है।

दशमोत्तर छात्रवृत्ति संबंधी, लेखा–अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि शिक्षण संस्था के द्वारा मांगे गये वास्तविक छात्रवृत्ति की धनराशि से ज्यादा छात्रवृत्ति की धनराशि रू 230370/का DSWO, US Nagar द्वारा भुगतान किया गया, जिसका विस्तृत विवरण निम्मवत् है–

क्रम. सं.	शिक्षण संस्था का नाम	छात्रों की संख्या	जाति	शिक्षण संस्था द्वारा मांगपत्र प्रति छात्र	भुगतानित प्रति छात्र	अधिक भुगतान
1.	इन्दिरा गांधी राजकीय इन्टर कालेज बढियावाला उधमसिंह नगर	176	OBC	1080	1600	91520
2.	इन्दु इन्टर कालेज,काशीपुर	5	OBC	900	1600	3500
3.	राजकीय इन्टर कालेज, सितारगंज	4	OBC	1000	1600	2400
4.	शिवालिक इन्टर कालेज,चीनी मिल्स	21	OBC	1080	1600	11760
5.	राजकीय इन्टर कालेज,जसपुर	59	OBC	————	1600	94400
6.	किसान इन्टर कालेज,कुणुखरी, काशीपुर	13	SC	1260	2300	13520
7.	————तदैव———	01	SC	810	2300	1490
8.	————तदैव———	19	SC	1680	2300	11780
		298				**230370**

इस प्रकार, DSWO, US Nagar द्वारा शिक्षण संस्था के द्वारा प्रस्तुत मांगपत्र से अधिक छात्रवृत्ति धनराशि ` 230370/ का भुगतान किया गया।

लेखा परीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर बताया गया कि जांचोपरात अनुमानित धनराशि की वापसी/वसूली शिक्षण संस्थाओ से कर अवगत कराया जायेगा। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि शिक्षण संस्था के द्वारा मांगानुसार छात्रवृत्ति की धनराशि भुगतानित की जानी अपेक्षित थी।

इस प्रकार शिक्षण संस्था के मांगपत्र के सापेक्ष छात्रवृत्ति ` 2.30 लाख अधिक भुगतान किये जाने का प्रवरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग– दो (ब)

प्रस्तर 05 : शादी –विवाह योजना में धनराशि ` 47.40 लाख का अतिरिक्त व्यय।

उत्तराखण्ड राज्य के अनुसूचित जाति एवं जनजाति के परिवारों की पुत्री के विवाह हेतु एक मुश्त ` 20,000 =00 का आर्थिक सहायता दिये जाने का प्रावधान था जो कि शासन के पत्र सः–1919/xvii-1/2013-01(98)/2011 दिनांक 25/06/2013 द्वारा विवाह मे आर्थिक सहायता की राशि को बढ़ाकर ` 50,000= 00 किया गया जो कि तत्काल प्रभाव से लागू था।

जिला समाज कल्याण अधिकारी, उधमसिंह नगर के लेखापरीक्षा के दौरान अभिलेखों की जांच मे रखा गया कि उपरोक्त शासनादेश दिनांक 25/06/2013 के अवहेलना करते हुये कार्यालय द्वारा उस दिनांक से पहले विवाह करने वाली 158 लाभार्थियों को ` 50,000=00 की धनराशि का भुगतान किया गया अर्थात् प्रति लाभार्थी ` 30,000= 00 के हिसाब से कुल ` 47,40,000= 00 की धनराशि का अधिक भुगतान किया गया था।

लेखापरीक्षा में पूछे जाने पर कार्यालय द्वारा बताया गया कि लाभार्थियों के आवेदन एवं बजट आवंटन की उपलब्धता के आधार पर उक्त धनराशि का भुगतान किया गया है।

उत्तर मान्य नहीं है, कारण शासनादेश के दिनांक से पूर्व हुए विवाह के लिए यह मान्य नहीं था।

अतः कार्यालय द्वारा शादी–विवाह योजना मे ` 47.40 लाख की अतिरिक्त भुगतान का प्रकरण उच्चाधिकारियो के सज्ञांन मे लाया जाता है।

भाग– दो (ब)

प्रस्तर 06 : शासन के आदेश के विरूद्ध धनराशि ` 2.38 लाख अधिक छात्रवृत्ति का भुगतान।

भारत सरकार के दशामानेन्तर छात्रवृत्ति के मार्गदर्शिका के अनुसार तकनीकी शिक्षण सस्थान, शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क के अनुसार मांग सूची जिला कल्याण अधिकारी के पास भेजना सुनिश्चित करेगा एवं तत्पश्चात छात्रवृत्ति की धनराशि भुगतान का किया जायेगा।

जिला समाज कल्याण अधिकारी, उधमसिंह नगर कार्यालय के लेखापरीक्षा के दौरान दशमोत्तर छात्रवृत्ति सम्बन्धित अभिलेखों की जांच मे देखा गया कि वर्ष 2014–15 मे रूद्रपुर इस्टीट्यूट अब टेक्नोलोजी, रूद्रपुर कालेज मे सिविल, मैकेनिकल एवं इलैक्ट्रानिक्स इंजिनियरिंग कोर्स हेतु कुल 74 लाभार्थियों को छात्रवृत्ति हेतु कुल रू 29,98,900= 00 का भुगतान किया गया था जबकि इस कालेज का छात्रवृत्ति शुल्क, शुल्क निर्धारण समिति द्वारा स्वीकृत नहीं है एवं शासन द्वारा पत्रः सः–1363/xxiv(8) /2009-03/04 दिनांक 27/10/2009 द्वारा निर्देशित किया गया था कि, जो कालेज डिप्लोमा स्तरीय इंजिनियरिंग कोर्स चला रहा हैं एवं जिनके द्वारा अभी तक प्रस्ताव शुल्क समिति को भेजा नही गया, उनके द्वारा अन्तिम रूप से ` 35,000= 00 का वार्षिक शुल्क छात्रो से किया जायेगा। शासन के इस पत्र के अवहेलना करते हुये कार्यालय द्वारा धनराशि ` 29,98,900= 00 की छात्रवृत्ति 74 छात्र को अर्थात् धनराशि ` 40,526= 00 के दर से प्रति छात्र को छात्रवृत्ति दिया गया जबकि शासन के आदेशानुसार ( ` 35,000 + ` 2300) = ` 37,300 लेना चाहिए था।

अर्थात (` 40,526– ` 37,300) = ` 3226/ की राशि प्रति छात्र को अधिक छात्रवृत्ति दिया गया जिसकी कुल राशि ( ` 3226 X 74) = ` 2,38,724/ है।

लेखा परीक्षा मे पूछे जाने पर कार्यालय द्वारा बनाया गया कि प्रकरण का पुनः परीक्षण कर आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

अतः कार्यालय द्वारा शासनादेश का अवहेलना करते हुये धनराशि ` 2.38 लाख की छात्रवृत्ति का अधिक भुगतान का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग–2 (ब)

प्रस्तर 07: कार्यालय के बैक खाते मे ` 2.72 करोड की धनराशि अवरूद्ध ही कर रह जाना।

कोषागार नियमावली के अर्न्तगत नियम 09 के अनुसार जब तक धनराशि की भुगतान की आवश्यकता न हो जब तक कोषागार से धनराशि आहरित न किया जाये।

कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी, उधमसिंह नगर के लेखापरीक्षा के दौरान देखा गया कि कार्यालय के 08 बैक खाते मे धनराशि एकत्रित हो रखी हैं एवं दिनांक 31–03–2016 को कुल धनराशि ` 2,72,44,554= 00 जमा पायी गयी हैं जो कि निम्नवत हैः–

क्रम. स.	बैक का नाम	खाता सः	धनराशि
(1)	Axis	915020008871214	` 63,24,599. 53
(2)	I.O.B	159102000000181	` 54,01,403 .45
(3)	Andhra Bank	169111100002740	` 5,09,298.00
(4)	S.B.I	31015394124	` 25,30,888. 00

(5)	B.O.B	98450200000009	` 68,18,219.00
(6)	Allahabad	50091316584	` 3,47,259.00
(7)	Allahabad	20279528716	` 2,67,601. 00
(8)	Allahabad	50010344595	` 50,45,286. 00
			` 2,72,44,553.98

लेखापरीक्षा मे पूछे जाने पर सहमति ज्ञापन करते हूये कार्यालय द्वारा बताया गया कि लाभार्थियों को लाभ पहुंचाने हेतु विभिन्न योजनाओ की धनराशि रखी गई है। उत्तर मान्य नहीं है क्योकि लाभार्थियों को लाभ मिलने के बाद बैक खाते मे धनराशि होना नही चाहिये।

अतः प्रकरण को संज्ञान में लाया जाता है।

भागः– दो (ब)

प्रस्तर 08 : शिक्षण शुल्क का अधिकतम दर से लाभार्थियो को ` 2.86 लाख का अनियमित भुगतान किया जाना।

The guidelines of post Matric Scolorship Stepulation that Compulsory non-refundable fee charged by recognished instetutions under recognished campus under manegment quata (paid seat) and state Quata (Free Seat) can by be fully reimbursed as par the fee Atmetise approved by the competeat state Government authority. However, the fee structure of state

Government decided fee for B.Ed. Courses for free Seat as `.42,000/= and for paid seat as ` 55.000/2.

छात्रवृत्ति संबधित अभिलेखो की जांच मे लेखा–परीक्षा द्वारा पाया गया कि B.Ed. के छात्रो के लिए शिक्षण द्वारा प्रस्तुत मांगप्रत्र में छात्रों के समक्ष Management Quata-(Paid seat) and State Quata (Free Seat) का सत्यापन बिना सुनिश्चित किये D.S.W.O द्वारा अधिकतम दर 55000/=से 31 छात्रो को ` 2.86 लाख का अनिमियत भुगतान किया गया जिसका विवरण निम्नवत् है।:–

क्रम.स.	शिक्षण संस्था का नाम	जाति	छात्रों की संख्या	अधिकतम दर से भुगतान धनराशि 50 प्रतिशत	न्यूनतम दर से भुगतानित धनराशि 50 प्रतिशत	अधिक भुगतान
(1)	डा.सुशीला तिवारी बी.एड. कालेज	OBC	6	55,000= ` 165,000/=	42000, ` 126000/=	39000/=
(2)	केशव सूर्यवंशी कालेज आफ एजूकेशन शान्तिफार्म सितारगंज	SC	13	55,000, ` 715000/=	42000, ` 546000/=	169000/=
(3)	सरस्वती इन्स्ट्यूट आफ मैनेजमेट टैक्नोलाजी रूद्रपूर	OBC	4	55000, ` 110000/=	42000, ` 84000/=	26000
(4)	द्रोण बी.एड. कालेज रूद्रपुर	OBC	8	55000, ` 220000/=	42000, ` 168000/=	52000
			31 छात्र			` **286000**

लेखा परीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा बताया गया कि बी.एड. कोर्स के लिऐ निर्धारित शिक्षण शुल्क, Management Quata (55000), State Quata (42000) था, किन्तु लिपीकीय त्रुटी के कारण समस्त 31छात्रो को ` 55000 की दर से किया गया अधिक भुगतानित धनराशि वसूली की कार्यवाही की जायेगी।

इस प्रकार, शिक्षण शुल्क का अधिकतम दर से लाभार्थियो की ` 2.86 लाख अनिमियत भुगतान किये जाने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग –दो (ब)

प्रस्तर 09 : छात्रवृत्ति की धनराशि ` 0.54 लाख अपात्र लाभार्थियो को भुगतान किया जाना।

As per the guidelines of GoI, only those SC and OBC Students whose parent/ guardian in come does not exceed ` 2.50 Lakh and 1.00 Lakh per year respeativly are eligible for Scholarship benefits.

दशमोत्तर छात्रवृत्ति सबंधित लेखा अभिलेखो की जांच में लेखापरीक्षा द्वारा पाया कि शिक्षण संस्था के पिछड़ी जाति/अनुसूचित जाति के लाभार्थियों को छात्रवृत्ति ` 0.54 लाख का भुगतान किया गया जिनके अभिभावक के वार्षिक आय क्रमशः निर्धारित एक लाख (पिछड़ी जाति) दो लाख पचास हजार (अनुसूचित जाति) से अधिक था जिसका विवरण निम्नवत् है।

क्रम.स.	छात्र का नाम	शिक्षण संस्था	जाति	कोर्स का नाम	अभिभावक की वार्षिक आय	भुगतानित छात्रवृत्ति की धनराशि
(1)	सुमन रानी	सरस्वती इंस्टीयूट आफ टैक्नोलाजी, रूद्रपुर	OBC	B.ED	150,000	29000
(2)	लक्ष्मीचन्द्र	––तदैव––	OBC	B.ED	192000	22500
(3)	सौरभ भारती	श्रीमती रवीना जोशी मेमोरियल इण्टर कालेज, नानकमत्ता	SC	B.ED	264000	2300
						` 53800

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर जिनका समाज कल्याण अधिकारी, रूद्रपुर द्वारा बताया गया कि लिपिकीय त्रुटी से छात्रवृत्ति धनराशि का भुगतान किया गया, इस संबध में वसूली हेतु अपेक्षित कार्यवाही की जायेगी।

इस प्रकार, अपात्र लाभार्थियों को छात्रवृत्ति की धनराशि ` 0.54 लाख का भुगतान किये जाने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग–दो (ब)

प्रस्तर 10 : शासनादेश के विपरीत शिक्षण शुल्क का अतिरिक्त भुगतान ` 1.68 लाख।

दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार समय–समय पर विभिन्न शिक्षण संस्थानो के भिन्न भिन्न पाठ्यक्रमों के लिए शिक्षण शुल्क का निर्धारण राज्य सरकार की फ्री स्ट्रक्चर कमेटी द्वारा निर्धारित की जाती है।

इकाई के सम्बन्धित लेखा अभिलेखो की जांच मे पाया गया कि राज्य की शुल्क निर्धारण समिति द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार श्रीराम इंस्ट्टीयूट आफ मैनेजमेंट एण्ड टैक्नोलाजी, काशीपुर के एम.बी.ए. पाठ्यक्रम हेतु ` 55,000 का शुल्क निर्धारित किया गया। पुनः उत्तराखण्ड शासन द्वारा जारी आदेश (जुलाई 2010) के अनुसार संस्थानो द्वारा ` 12,000 की अतिरिक्त धनराशि शुल्क के रूप मे ली जा सकेगी बशर्ते वे ए आई सी टी ई के दिशा निर्देशों के अनुरूप छठें वेतनमान का लाभ अपने कर्मचारियो को प्रदान कर रहें हों, उक्त आदेश में यह स्पष्ट प्रावधान किया गया कि शुल्क वृद्धि उन्हीं संस्थानो पर लागू होगी जो शुल्क वृद्धि के पूर्व छठें वेतनमान का लाभ प्राप्त करने वाले कर्मचारियो की सूची, पे स्लिप तथा उनके बैंक स्टेटमेन्ट आदि चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा लेखा परिक्षित अभिलेखे जो सम्बन्धित संस्था के निदेशक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित हों, उत्तराखण्ड शासन एवं तकनीकी विश्वविधालय को उपलब्ध करायेगें जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि संस्थान छठे वेतनमान का लाभ अपने कर्मचारियो को दे रहे है।

जिला समाज कल्याण अधिकारी के अभिलेखो की नमूना जांच में पाया गया कि इकाई द्वारा उक्त संस्थान को एम.बी.ए. पाठ्यक्रम हेतु शैक्षिक सत्र 2014–15 के लिए निर्धारित ` 55,000 के शुल्क के विरूद्ध ` 67,000 के शुल्क की प्रतिपूर्ति की गयी जबकि संस्थान द्वारा अपने कर्मचारियों को छठे वेतन आयोग के लाभों को प्रदान करने सम्बन्धी कोई भी दस्तावेज इकाई में प्रस्तुत नहीं किये गये। इस प्रकार इकाई द्वारा संस्थान को एम.बी.ए. में अध्ययनरत 14 छात्रो की ` 12,000 की बढ़ी हुई दर से प्रति छात्र प्रतिशत की गयी एवं कुल 14×12,000 अर्थात संस्थान को ` 1,68,000 की धनराशि का अतिरिक्त भुगतान किया गया।

इस सम्बन्ध में लेखा परीक्षा में पूछे जाने पर इकाई द्वारा बताया गया कि सम्बन्धित संस्थानो से जांच कर आवश्यक अभिलेख छठे वेतनमान की संस्तुतियो को लागू किये जाने की पुष्टि के सम्बन्ध मे आवश्यक अभिलेख प्राप्त कर लिये जायेंगे।

इकाई का उत्तर मान्य नहीं हैं क्योंकि संस्थानों को शिक्षण शुल्क की अतिरिक्त धनराशि की प्रतिपूर्ति संस्थान के कर्मचारियो को छठे वेतनमान की संस्तुतियो को लागू किये बिना ही किया जाना शासनादेश के प्रावधानों के विरूद्ध था।

STAN

प्रस्तर 01 : छात्रवृत्ति मार्गदर्शिता के विपरीत परीक्षा शुल्क ` 29000/ का अमान्य भुगतान किया जाना।

As per provision of the guidelines of post Matric Scholorship scheme, Scholorship will be paid, Enrolment/registration, Tution, Games, Union, Library, Magazines, medical examination are such other compulsory fee payable by the Scholors to the institution or University and refundable deposit like coution money, Security deposit will however, be excluded.

दशमोत्तर छात्रवृत्ति संबंधी लेखा अभिलेखों की नमूना जांच में पाया कि वर्ष 2013–14 में शिक्षण संस्था सूरजमल लक्ष्मीदेवी सावरिया एजुकेशन ट्रस्ट ग्रुप आफ इस्टयूशन सिरौली, किच्छा, उधमसिंह नगर को मार्ग–दर्शिका में प्रावधान के विपरीत, परीक्षा ` 29000/अमान्य भुगतान किया गया जिसका विवरण निम्नवत् है–

क्रम. स.	छात्रों की संख्या	जाति	कोर्स	शिक्षण संस्था को भुगतानित			भुगतानित @ 50 प्रतिशत
				धनराशि/ ट्यूशनफीस	परीक्षा शुल्क	छात्रवृत्ति	
1.	12	OBC	बी.टेक	60,000	4000 67200×12	3200	806400÷2 **(a)** 403200
2.	02	OBC	एम.बी.ए.	60,000	5000 68200×02	3200	136400÷2 **(b)** 68200
					योग (a+b)		` **4,71,400**

इस प्रकार DSWO, US Nagar द्वारा परीक्षा शुल्क के मद में 12 छात्रों को **@** 4000 की दर से तथा 02 छात्रों को **@** 5000 की दर से (48000 से 10000) = ` 58000 **@** 50 प्रतिशत, कुल ` 29000/2 का अनियमित भुगतान किया गया।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर, DSWO, US Nager द्वारा अवगत कराया अधिक भुगतान की धनराशि को संबधित संस्था से वसूली प्रक्रिया कें आधार पर वापस प्राप्त कर अवगत कराया जायेगा। उत्तर स्वीकार्य नहीं है। क्योकि परीक्षा शुल्क के मद मे किया गया भुगतान मार्गदर्शिका के विपरीत था।

इस प्रकार, छात्रवृत्ति मार्गदर्शिका के विपरीत परीक्षा शुल्क ` 29000/– का अमान्य भुगतान किये जाने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग–तीन

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमिततायें, जिनका समाधान/निराकरण लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं किया जा सका है, उन्हें पृथक रूप से नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर अलग से **कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी, ऊधमसिंह नगर,** को इस आशय से प्रेषित की गयी की वे लेखापरीक्षा टिप्पणी की प्राप्ति के एक माह के अन्दर उसकी अनुपालन आख्या सीधे वरिष्ठ उपमहालेखाकार/सामाजिक क्षेत्र, कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड, सी–1/105 वैभव पैलेस, इन्दिरानगर, देहरादून को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी
सामाजिक क्षेत्र